न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम :– पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)
मिसल न0– 34 / 2021

अनवान :–

1. देवीराम पुत्र सरदाराराम जाति जाट साकिन चारणवासी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

सायल

बनाम्

1. किशनलाल पुत्र हरीसिह जाति जाट साकिन चारणवासी तहसील नोहर।
2. प्रविन्द्र कुमार पुत्र हरीसिह जाति जाट साकिन चारणवासी तहसील नोहर।
3. भरत हरिदेव पुत्र हरीसिह जाति जाट साकिन चारणवासी तहसील नोहर।

–गैरसायलान

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251–(क) राज0 काश्तकारी अधिनियम सन् 1955

उपस्थित :– श्री विजयसिह कडवासरा अभिभाषक, सायल
श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता गैरसायलान

निर्णय दिनांक : 06/05/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया की आराजी जरई रोही मौजा चक 11 केएनएन के खाता संख्या 37 / 34 की कुल 3.7950हैक्ट भूमि का सायल खातेदार काश्तकार है।

आराजी जरई रोही मौजा चक 11 केएनएन के खाता संख्या 17 / 17 की कुल 0.5560हैक्ट भूमि गैरसायल संख्या 1 ता 3 की खातेदारी भूमि है।

सायल अपने गांव से चलकर मन्जूरशुद्वा रास्ता जो आगे मलवानी चिलकणी पक्की सडक जाता है तथा सायल उक्त रास्ता से अपने खेत के प0न0 327 / 367 (2) किला न0 5 / 7 तक आ जाता है तथा उक्त किला के उतर किनारे पूर्व से पश्चिम अपने खेत पत्थर न0 327 / 367 (2) के किला न0 4 में प्रवेश कर जाता है जो सायल के लिये सुविधाजनक है सायल अपने खेत का रास्ता पत्थर नम्बर 327 / 367(2) के किला न0 5 / 2 के उतर किनारे पूर्व से पश्चिम रास्ता चालू है तथा यही रास्ता नजदीकी व सुविधाजनक है मगर उक्त रास्ता मुरब्बा नम्बर 2 किला नम्बर 5 / 2 की 0.2150है वाके रोही मौजा चक 11 केएनएन के उतरी किनारे पूर्व से पश्चिम चालू रास्ता को गैर सायलान 1 ता 3 बन्द करने की धमकी दे रहे है जिससे सायल को अपूर्णीय क्षति होती है और अपने खेत में आवागमन करने से वंचित हो जावेगा।

सायल ने गैरसायल संख्या 1 ता 3 को [illegible] कहा की सायल के खेत रोही मौजा चक 11 केएनएन के प0न0 327 / 367(2) [illegible] किला नम्बर 4 के लिये गैरसायलान के खेत रोही मौजा चक 11 केएनएन के प0न0 327 / 367(2) के किला न0 5 [illegible] 0.2150है खेत के उतरी किनोर पूर्व से पश्चिम 1 बिश्वा रास्ता स्वीकृत करवाकर राजस्व रिकार्ड में अंकन

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.05.22 19:15:05 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

करवा लेवे तो गैरसयल संख्या 1 ता 3 कुछ दिनों तक तो आजकल आजकल करते रहे अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है।

अतः सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा चक 11 केएनएन के प.न. 327/367 (2) के किला न0 5/2 की 0.2150हैक्ट भूमि के उतरी किनारे से पूर्व से पश्चिम 1 बिश्वा रास्ता स्वीकत कर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश फरमावें।

सायल का प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान को जरिये सम्मन/नोटिस तलब किया गया गैरसायल संख्या 2 ता 3 रजिस्टर सम्मन से तलब करने के उपरान्त भी न्यायालय में उपस्थित नही आने पर एकपक्षिय कार्यवाही की गई गैरसायल संख्या 1 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर सायल के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए जबाब प्रार्थना पत्र पेश किया की

सायल देवीराम के खेत को आने जाने वाला सबसे नजदीकी रास्ता हरिसिह पुत्र मनीराम के प0न0 327/367(2) के किला न0 15/2 के मिन उत्तर मे से किला न0 14 मिन उतरी पूर्व कोना में से होकर अपने खेत के किला न0 7 में प्रवेश करता है यह रास्ता अरसा से चालू है व इसी रास्ता से सायल आवागमन करता आ रहा है और सायल द्वारा चाहे गये रास्ता से सायल के खेत में पहुचने कें लिये नजदीकी पडता है।।

सायल के द्वारा चाहा गया रास्ता गैरसायल कि भूमि के मध्य में से मांगा गया है जिससे गैरसायल की भूमि के दो टूकडे हो जाते है जिससे गैरसायल की भूमि काश्त योग्य नही रहती है जिससे गैरसायल को अपूर्णीयक्षति होती है

सायल को अपनी भूमि में जाने के लिये पहले से रास्ता उपलब्ध है सायल ने गैरसायल को परेशान करने की नियत से प्रार्थना पत्र पेश किया गया है सायल ने चालू रास्ता को स्वीकृत न करवाकर अन्य रास्ता को स्वीकृत करवाने का पेश किया गया है जो न्यायोचित नही है सायल का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

गैरसायल का जबाब पेश होने पर शामिल मिसल किया गया तहसीलदार से मौका जांच रिपोर्ट /नजरीय नक्शा चाहा गया जो प्राप्त होने पर शामिल मिसल किया जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

सायल के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की आराजी जरई रोही मौजा चक 11 केएनएन के खाता संख्या 37/34 की कुल 3.7950हैक्ट भूमि का सायल खातेदार काश्तकार है।

आराजी जरई रोही मौजा चक 11 केएनएन के खाता संख्या 17/17 की कुल 0.5560हैक्ट भूमि गैरसायल संख्या 1 ता 3 की खातेदारी भूमि है।

सायल अपने गांव से चलकर मन्जूरशुद्वा रास्ता जो आगे मलवानी चिलकणी पक्की सडक जाता है तथा सायल [illegible] प0न0 327/367 (2) किला न0 5/7 तक आ जाता है तथा उक्त [illegible] पश्चिम अपने खेत पत्थर न0 327/367 (2) के किला न0 4 [illegible] है जो सायल के लिये सुविधाजनक है सायल अपने खेत का रास्ता पत्थर नम्बर 327/[illegible](2) के किला न0 5/2 के उत्तर किनारे पूर्व से पश्चिम रास्ता चालू है तथा यही रास्ता नजदीकी व सुविधाजनक है मगर उक्त रास्ता

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.05.22 19:15:05 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

मुरब्बा नम्बर 2 किला नम्बर 5/2 की 0.2150है वाके रोही मौजा चक 11 केएनएन के उतरी किनारे पूर्व से पश्चिम चालू रास्ता को गैर सायलान 1 ता 3 बन्द करने की धमकी दे रहे है जिससे सायल को अपूर्णीय क्षति होती है और अपने खेत में

अतः सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा चक 11 केएनएन के प. न. 327/367 (2) के किला न0 5/2 की 0.2150हैक्‍ भूमि के उतरी किनारे से पूर्व से पश्चिम 1 बिश्वा रास्ता स्वीकत कर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश फरमावें।

गैरसायल के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने जबाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की सायल देवीराम के खेत को आने जाने वाला सबसे नजदीकी रास्ता हरिसिह पुत्र मनीराम के प0न0 327/367(2) के किला न0 15/2 के मिन उत्तर मे से किला न0 14 मिन उतरी पूर्व कोना में से होकर अपने खेत के किला न0 7 में प्रवेश करता है यह रास्ता अरसा से चालू है व इसी रास्ता से सायल आवागमन करता आ रहा है और सायल द्वारा चाहे गये रास्ता से सायल के खेत में पहुचने कें लिये नजदीकी पडता है।।

सायल के द्वारा चाहा गया रास्ता गैरसायल कि भूमि के मध्य में से मांगा गया है जिससे गैरसायल की भूमि के दो टूकडे हो जाते है जिससे गैरसायल की भूमि काश्त योग्य नही रहती है जिससे गैरसायल को अपूर्णीयक्षति होती है

सायल को अपनी भूमि में जाने के लिये पहले से रास्ता उपलब्ध है सायल ने गैरसायल को परेशान करने की नियत से प्रार्थना पत्र पेश किया गया है सायल ने चालू रास्ता को स्वीकृत न करवाकर अन्य रास्ता को स्वीकृत करवाने का पेश किया गया है जो न्यायोचित नही है सायल का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात पर मनन किया गया प्रस्तुत रिकार्ड अनुसार

रोही मौजा चक 11 के खाता संख्या 37/34 की कुल 3.7950हैक्‍ भूमि सायल के नाम बतौर खातेदार काश्तकार एवं रोही मौजा चक 11 केएनएन के खाता संख्या 17/17 की कुल 0.5560हैक्‍ भूमि गैरसायल की खातेदारी भूमि है जो प्रस्तुत जमाबन्दीयो से साबित है।

सायल के द्वारा अपनी खातेदारी भूमि में आवागमन करने हेतु गैरसायलान की खातेदारी भूमि रोही मौजा 11 केएनएन के प0न0 327/367 (2) किला न0 5/2 की 0.2150हैक्‍ के उतरी किनारे से पूर्व से पश्चिम 1 बिश्वा रास्ता स्वीकृत करने का अनुतोष चाहा गया है

गैरसायल संख्या 1 ने सायल के कथनों को विरोध करतें हुए निवेदन किया की सायल देवीराम को अपने खेत में जाने वाला सबसे नजदीकी रास्ता हरिसिह पुत्र मनीराम के प0न0 327/367(2) के किला न0 15/2 के मिन उतर में से 14 मिन उतरी पूर्व कोना में से होकर सायल के खेत के किला न0 7 में [illegible] सदामत से चालू है व सदामत से सायल उपयोग करता आ रहा है गैरसायल [illegible] जिसकी भूमि के टूकडे कर सायल रास्ता पाने का अधिकारी नही है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.05.22 19:15:05 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

उभयपक्षों के बहस एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात से गैरसायल का आक्षेप स्वीकार योग्य है क्योकि सायल के द्वारा जो रास्ता चाहा जा रहा है वह गैरसायल की भूमि के बीच में से चाहा गया है जिससे गैरसायल की भूमि दो भागों में बट जाती है जिससे गैरसायल को नुकसान होता है।

तहसीलदार नोहर के द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के अनुसार रोही मौजा चक 11 केएनएन के मु0न0 2 के किला न0 6 के दक्षिण में वर्तमान में कोई रास्ता चालू नही है वर्तमान में मु0न0 2 के किला न0 5/2 की 0.215 ,6/2 की 0.215है में सरसो की फसल काश्त है इसी मुरब्बा न0 2 के किला न0 15/2 में पूर्व से पश्चिम की तरफ आवागमन के निशानात पाये गये है।

तहसीलदार नोहर की मौका रिपोर्ट से गैरसयाल के कथनों की भी पुष्टी होती ह कि मु0न0 2 के किला न0 15/2 में रास्ता चालू है जिससे सायल अपनी खातेदारी भूमि में प्रवेश कर सकता है अर्थात सायल को पूर्व से ही अपनी खातेदारी भूमि जाने के लिये रास्ता उपलब्ध है।

यह सही है कि किसी भी काश्तकार को उसकी खातेदारी भूमि में आवागमन करने हेतु रास्ता दिया जाना चाहिये किन्तु जब पहले से रास्ता उपलब्ध अथवा छोटा रास्ता उपलब्ध हो तो अन्य काश्तकार जिसकी भूमि में से रास्ता चाहा जा रहा है के हितों को प्रभावित किया जाकर रास्ता दिया जाना न्यायोचित नही है अन्य काश्तकार जिसकी भूमि में से रास्ता दिया जाना है उसके हकों को भी ध्यान में रखा जाना आवश्यक है।

हस्तगत प्रकरण में सायल को मु0न0 2 के किला न0 15/2 में चालू रास्ता उपलब्ध जिससे सायल अपनी खातेदारी भूमि में प्रवेश कर सकता है जो सुविधाजनक एवं छोटा रास्ता है गैरसायल जो छोटा काश्तकार है कि भूमि को में गैरसायल के हितों को प्रभावित किया जाकर सायल गैरसायल की भूमि में से रास्ता पाने के का अधिकारी नही है ना ही यह न्यायोचित है।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट हो चुका है कि सायल को अपनी खातेदारी भूमि में आवागमन करने के लिये रोही मौजा चक 11 केएनएन के मु0न0 2 के किला न0 15/2 में रास्ता उपलब्ध है जो सायल के किला न0 7 मे प्रवेश करने के उपलब्ध है अर्थात सायल को अपनी भूमि में आवागमन करने के लिये पहले से ही रास्ता उपलब्ध होने के कारण अन्य रास्ता सायल स्वीकृत करनवाने का अधिकारी नही है

अतः सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नही होने के कारण खारिज किया व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक [illegible] को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.05.22 19:15:05 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)